

ई-निविदा सूचना

विषय : संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में मिश्रित रद्दी कागज के निपटान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)।

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में मिश्रित रद्दी कागज के निपटान के लिए दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। निविदा आमंत्रण सूचना की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों निविदा दस्तावेज में दी गई हैं। निविदा दस्तावेजको संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in और केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपी) <https://eprocure.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। एनआईटी से संबंधित महत्वपूर्ण तारीख सम्बन्धी पत्रक निम्नानुसार है:

प्रकाशित किए जाने की तारीख	20.02.2024 को 17:30 बजे
बोली दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री शुरू करने की प्रारंभिक तारीख	20.02.2024 को 17:30 बजे
बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तारीख	20.02.2024 को 17:30 बजे
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	13.03.2024 को 15.00 बजे
बोली खोलने की तारीख	14.03.2024 को 15.00 बजे

2. इच्छुक बोलीदाता अपनी निविदा, दो बोली प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन रूप से <http://eprocure.gov.in> पर भेज सकते हैं। यह निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ई-प्रापण पोर्टल <http://eprocure.gov.in> पर प्रस्तुत की जानी है। पात्रता की शर्तों आदि के समर्थन में समस्त दस्तावेज स्कैन करके निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किए जाने हैं। ऑनलाइन माध्यम को छोड़कर किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तारीख और समय के बाद किसी भी निविदा दस्तावेज को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोली के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण फोन नं. 011-23382415 पर कार्यालय में सांय 4.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

3. निविदाकारों/संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वेसीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in> के माध्यम से बोलियों के ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण हेतु निविदाकार/ संविदाकार को दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

4. 60,000/- (साठ हजार रुपए) की मूल धरोहर राशि (ईएमडी), सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में खातादेय डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के रूप में वास्तविक रूप से सीलबंद कवर में जमा की जानी चाहिए, और इस लिफाफे पर अनिवार्यतः "मिश्रित रद्दी कागज के निपटान हेतु एनआईटी" लिखा होना चाहिए और इस लिफाफे को अवर सचिव, सामान्य-I, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस नई दिल्ली को संबोधित करते हुए दिनांक 20.02.2024 से 13.03.2024 तक की अवधि के दौरान (3:00 बजे तक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के गेट नंबर 3 (सुविधा काउंटर) पर रखे निविदा बॉक्स में डाल दिया जाना चाहिए। यदि निर्धारित तारीख एवं समय के दौरान मूल धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो तो ऐसी बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि बैंक ड्राफ्ट (ईएमडी) की स्कैन की गई प्रति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से <http://eprocure.gov.in> पर अपलोड किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता की ईएमडी, सभी संविदागत दायित्वों के पूरा हो जाने के बाद ही उसे लौटाई जाएगी। जिन बोलियों के साथ निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्तानुसार विनिर्धारित धरोहर राशि जमा नहीं की गई होगी उन्हें तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. बोलियों को 14.03.2024 को अपराह्न 3:00 बजे ऑनलाइन रूप से खोला जाएगा। निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों के मूल्यांकन के उपरांत विशिष्ट अनुशंसाएं की जाएंगी जिन्हें अपलोड कर दिया जाएगा और बोलीदाता इनका अवलोकन कर सकेंगे।

6. संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारीको यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे, बिना कोई कारण बताए, इस निविदा दस्तावेज को किसी भी समय रद्द कर सकेगा या इसकी किसी भी शर्त को संशोधित कर सकेंगे या वापस ले सकेंगे।

एसडी/-
(शंकरभाई फेरा)
अवर सचिव (सा-1)

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड

नई दिल्ली-110069

विषय : संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में मिश्रित रद्दी कागज के निपटान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)।

संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय मिश्रित अपशिष्ट पत्रों का निपटान करने का इरादा रखता है। बेकार कागज में मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फटे पुराने रिकॉर्ड, पुराने कार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड बॉक्स, कार्बन पेपर और कुछ इस्तेमाल किए गए पॉलीथीन बैग और अन्य दैनिक व्यापक अपशिष्ट शामिल हैं। मिश्रित रद्दी कागज का संभावित वजन 90,000 किलोग्राम है। जो बढ़ या घट सकता है। स्वीकृत विक्रेता को वास्तविक आधार पर रद्दी कागज उपलब्ध कराया जाएगा। संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय का दौरा करें और एम एंड एम अनुभाग से दिनांक 26.02.2024 से 01.03.2024 तक अपराह्न 2.30 से 4.00 बजे के बीच से संपर्क करें ताकि वे रद्दी कागज का निरीक्षण कर सकें, ताकि वित्तीय बोली उद्धृत करने से पहले मिश्रित रद्दी कागज की प्रकृति के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकें। किसी भी स्तर पर रद्दी कागज की प्रकृति, मात्रा अनुपात आदि के संबंध में किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

दो बोली प्रणाली :

2. बोलियां, दो भाग में प्रस्तुत की जानी चाहिए अर्थात् तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली। अपलोड किए जाने से पहले, जमा की जाने वाली बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए होने चाहिए और इनका क्रमिक संख्यांकन किया हुआ होना चाहिए, भले ही दस्तावेज किसी भी स्वरूप के हों।

भाग-I- तकनीकी बोली

3. तकनीकी बोली : बोलीदाता, अनुबंध-I (जांच सूची), अनुबंध-II तथा अनुबंध-III में विधिवत रूप से भरी हुई तथा हर दृष्टिकोण से पूर्ण तकनीकी बोली अपलोड करेंगे। इस तकनीकी बोली के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- (क) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में खातादेय डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के रूप में जमा की गई 60,000/- रु. (साठ हजार रुपए मात्र) की ईएमडी की स्कैन की गई प्रति।
- (ख) एमएसएमई होने के नाते ईएमडी और निविदा शुल्क से छूट की मांग करने वाले निविदाकारों को उस निकाय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके तहत वे पंजीकृत हैं जिसमें स्पष्ट रूप से पंजीकरण की श्रेणी यानी बेकार कागज का उल्लेख है और निविदा जमा करने की तारीख तक वैध है। एमएसएमई ईएमडी और निविदा शुल्क में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे यदि वे बेकार कागज श्रेणी के लिए पंजीकृत नहीं हैं।
- (ग) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-II) में विधिवत भरी हुई अपेक्षित सूचना।
- (घ) काली सूची में डालने संबंधी प्रमाण-पत्र (अनुबंध-III)
- (ङ.) फर्म/कंपनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (च) फर्म/कंपनी के पैन नंबर की प्रति।
- (छ) फर्म/कंपनी के जीएसटी नंबर की प्रति।
- (झ) सभी बोलीदाताओं को यह प्रमाणित करना होगा कि उन्हें एनआईटी की सभी शर्तें व निबंधन मंजूर हैं।

महत्वपूर्ण नोट : बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सभी दस्तावेज (मूल ईएमडी को छोड़कर) ऑनलाइन जमा किए जाने हैं। ऑफलाइन जमा की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी की स्कैन कॉपी के अलावा; मूल ईएमडी 20.02.2024 से 13.03.2024 (शाम 3:00 बजे तक) की अवधि के भीतर यूपीएससी, नई दिल्ली के गेट नंबर 3 (सुविधा काउंटर) पर रखे गए टेंडर बॉक्स में भौतिक रूप से जमा की जानी है।

भाग-II- वित्तीय बोली

4. दरें केवल ऑनलाइन माध्यम से तथा वित्तीय बोली जमा करने हेतु निर्धारित प्रपत्र अर्थात् बीओक्यू (अनुबंध-IV) में उद्धृत की जाएं। निर्धारित प्रपत्र में इकाई प्रति किलो (जीएसटी सहित) की दर उद्धृत की जानी चाहिए, और कुल मूल्य का परिकलन अनुमानित वजन रद्दी कागज तथा दोसूती बैग के लिए क्रमशः 90,000 किलोग्राम के आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि एनआईटी में पूर्व में उल्लेख किया गया है। उद्धृत की गई राशि का भुगतान, सफल बोलीदाता द्वारा चार तिमाही किस्तों में अग्रिम तौर पर प्रत्येक तिमाही की शुरुआत से पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में भुगतान के माध्यम/कार्यक्रम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. मूल्य, केवल इस प्रयोजनार्थ निर्धारित वित्तीय बोली में अर्थात् बीओक्यू में ऑनलाइन रूप से जमा की जानी चाहिए। वित्तीय/मूल्य बोली में किसी प्रकार की विसंगति, अर्थात् तकनीकी बोली में जमा किए गए विवरण जैसे फर्म तथा प्रोपराइटर के नाम, बीओक्यू आदि में विसंगति पाए जाने की स्थिति में ऐसी बोलियों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सशर्त जमा की गई मूल्य बोलियों को भी तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6. बीओक्यू में उद्धृत की गई दरों का उल्लेख, शब्दों तथा अंकों, दोनों में स्पष्ट तौर पर किया जाना चाहिए।

7. अंकगणीतीय त्रुटियों में निम्नलिखित आधार पर सुधार किया जाएगा। यदि इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त इकाईमूल्य और कुल मूल्य में विसंगति पाई जाती है, तो इकाईमूल्य प्रभावी होगा और क्रेता द्वारा कुल मूल्य में संशोधन किया जाएगा। यदि क्रेता त्रुटियों में सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बोली का मूल्यांकन

8. बोली का मूल्यांकन पैकेजवार किया जाएगा। दो पैकेजों में से प्रत्येक पैकेज के लिए एक अलग एच-1 बोलीदाता होगा। उस बोलीदाता को, जो पैकेज के संबंध में अधिकतम पैकेजों में उद्धृत करता है, को संविदा प्रदान की जाएगी बशर्ते वह उद्धृत दर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य से अधिक हो और निविदा आमंत्रण नोटिस के निबंधनों और शर्तों को स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त स्वीकार करने के अध्यक्षीन हो।

सामान्य निबंधन व शर्तें

9. सफल बोलीदाता को रद्दी कागज उठाने होंगे भले ही इनकी वास्तविक मात्रा एनआईटी में उल्लिखित अनुमानित मात्रा की तुलना में कम या अधिक क्यों न हो। यदि रद्दी का वजन 90,000 किलोग्राम के अनुमानित वजन से अधिक है, तो वेंडर को अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। यदि रद्दी का वजन, अनुमानित वजन से कम है तो वेंडर को शेष धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9.1 अनुमोदित बोलीदाता को तिमाही किस्त जमा करने के बाद ही रद्दी कागज उठाने की अनुमति दी जाएगी। बोलीदाता केवल तिमाही किस्त के मूल्य के बराबर मूल्य के रद्दी कागज ही उठाएगा। अतिरिक्त रद्दी कागज (तिमाही किस्त के मूल्यसे अधिक) को उस तिमाही विशेष में अपेक्षित राशि जमा करने के बाद ही उठाने की अनुमति दी जाएगी। बोलीदाता को यह अतिरिक्त राशि 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर शास्ति लगाई जा सकती है और निष्पादन सुरक्षा धनराशि जब्त की जा सकती है।

9.2 यदि रद्दीकागज का मूल्य तिमाही किस्त के मूल्य से कम है तो इसे संविदा अवधि के दौरान दो बार समायोजित/अदा किया जाएगा। पहला समायोजन छः माह के बाद अर्थात् तीसरी तिमाही किस्त जमा करने के समय किया जाएगा। बोलीदाता को पहली और दूसरी तिमाही के दौरान, बोलीदाता द्वारा नहीं उठाए गए रद्दी कागज का मूल्य घटाने के बाद तीसरी किस्त जमा करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा समायोजन संविदा पूर्ण होने के समय किया जाएगा और अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी। बोलीदाता इस भुगतान के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करेगा और संविदा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर निष्पादन सुरक्षा धनराशि के साथ यह राशि बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी।

10. रद्दी कागज के निपटान के प्रयोजनार्थ संघ लोक सेवा आयोग आंतरिक तौर पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) तय करेगा। निविदा उस बोलीदाता को प्रदान की जाएगी जो अधिकतम दर (रु. प्रति किलोग्राम) उद्धृत करेगा, बशर्ते कि यह दर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तय एमआरपी से अधिक हो।

11. रद्दी कागज अनुमोदित वेन्डर को अनुमोदित दर (प्रति किलोग्राम) पर तथा संघ लोक सेवा आयोग में वास्तविक रद्दी की मात्रा के आधार पर प्रदान किया जाएगा। रद्दी का वजन इस प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से गठित समिति के समक्ष किया जाएगा और उसके बाद इसे निपटान के लिए वेन्डर को प्रदान किया जाएगा। माप-तोल के प्रयोजन के लिए केवल संघ लोक सेवा आयोग का अपना वेइंग स्केल या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रक्रिया पर ही विचार किया जाएगा। माप-तोल के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

12. रद्दी कागज संविदाकार को अपने स्वयं के स्टाफ द्वारा उठवाना होगा और संघ लोक सेवा आयोग, इस प्रयोजन के लिए कोई कर्मचारी मुहैया नहीं कराएगा। रद्दी कागज को उठाने से पहले फाड़कर उसके टुकड़े करने होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के किसी कार्मिक की उपस्थिति में रद्दी कागज फाड़कर दो/चार टुकड़े करने होंगे। रद्दी कागज बिना फाड़े/काटे रद्दी सामग्री को उठाने की अनुमति नहीं होगी।

13. संविदाकार को रद्दी सामग्री, कार्यालय परिसर के अंदर अलग-अलग करने की अनुमति नहीं होगी और उसे यह रद्दी कागज लॉट के तौर पर उठाना होगा।

14. रद्दी सामग्री को संविदाकार संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में "खत्ते" की चारदीवारी के अन्दर अपने स्वयं के बैगोंकोरख सकता है। रद्दी कागजों को कार्यालय परिसर में एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी। संविदाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि रद्दी सामग्री कम से कम 7 दिन में एक बार या इस कार्यालय के निर्देशानुसार उठाई/हटाई जाए।

15. सशर्त, अस्पष्ट तथा अपूर्ण बोलियों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

16. संघ लोक सेवा आयोग की बोलियों में पहले शामिल हो चुकी फर्में, जिनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया तथा/या उनकी ईएमडी/निष्पादन सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली गई हो, वे बोली प्रक्रिया में शामिल होने की पात्र नहीं होंगी और उनकी बोली को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. फर्म को किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा काली सूची में नहीं डाला हुआ होना चाहिए।

कार्यनिष्पादन सुरक्षा धनराशि

18. सफल बोलीदाता को, आशय पत्र की तारीख से दस दिन के भीतर, किसी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक से सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में खातादेय बैंक ड्राफ्ट या किसी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटीके रूप में संविदा मूल्य के 10% की राशि निष्पादन सुरक्षा धनराशि के तौर पर प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी वैधता अवधि चौदह माह अर्थात् संविदा अवधि के पूरा होने के बाद से 60 दिन तक हो। यह सुरक्षा धनराशि, इस कार्यालय द्वारा संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने तक रखी जाएगी। तथापि, सफल बोलीदाता को उसकी ईएमडी, निष्पादन सुरक्षा धनराशि प्राप्त होने के तत्काल बाद वापस कर दी जाएगी।

शास्ति खंड

19. यदि सफल बोलीदाता किसी भी कारण (कारणों) से इस कार्यालय द्वारा प्रदान की गई संविदा को स्वीकार नहीं करता है तो खंड 4 के अंतर्गत उसके द्वारा जमा की गई यथानिर्धारित धरोहर जमाराशि को जब्त कर लिया जाएगा और उस फर्म को संघ लोक सेवा आयोग की बोलियों में भाग लेने के प्रयोजन से काली सूची में डाल दिया जाएगा।

20. यदि संविदाकार, संविदा के निबंधन एवं शर्तों का पालन करने में असफल होता है, तो इस कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह निष्पादन सुरक्षा धनराशि (खंड 18 के अंतर्गत यथानिर्धारित) को जब्त कर ले और संविदाकार के जोखिम एवं लागत पर संविदा को निरस्त भी कर दे तथा संघ लोक सेवा आयोग में काली सूची में डाल दे।

21. निर्धारित तारीख तक संविदाकार द्वारा किस्त की पूरी राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में, 10 दिनों तक भुगतान में विलंब के लिए किस्त की राशि पर 10 प्रतिशत की शास्ति लगाई जाएगी। किस्त के भुगतान में 10 दिन से अधिक समय के विलंब के लिए किस्त पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त शास्ति भी लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, 15 दिन से अधिक के विलंब के मामले में निष्पादन सुरक्षा धनराशि की जब्ती और संविदा की समाप्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

22. यदि निविदा की स्वीकृति तथा आदेश जारी किए जाने के बाद, यह ध्यान में आता है कि संविदाकार द्वारा किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है अथवा रद्दी कागजों आदि को हटाने का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है, तो इस कार्यालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह लिखित में 7 दिन का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर दें और निष्पादन सुरक्षा धनराशि को जब्त कर लें।

23. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी या सभी बोलियों को, बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

एसडी/-
(शंकरभाई फेरा)
अवर सचिव (सा-1)
टेलीफोन 23382415

प्रतिलिपि :

वेब सेल को- उक्त निविदा के वेब आधारित प्रचार के लिए
(अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों पाठ)

ई-निविदा फा.सं. 3.12.(1)/2024-सा.-I

विषय: संघ लोक सेवा आयोग में मिश्रित रद्दी कागज़ों निपटान हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

(जांच सूची)

(तकनीकी बोली के भाग के रूप में)

क्रम सं.	ई-निविदा में अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण	हां/नहीं	पृष्ठ सं.
1	60,000/- रु. की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) की स्कैन की गई प्रति		
2	यदि फर्म को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है, तो दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।		
3	फर्म का विवरण एवं घोषणा- अनुबंध II		
4	देश में कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है- अनुबंध III		
5	फर्म के पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति		
6	फर्म के पैन नं. की स्कैन की गई प्रति		
7	जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति		
8	फर्म द्वारा प्रस्तुत बोली के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और इनका क्रमवार संख्यांकन कर दिया गया है		

हस्ताक्षर :

नाम :

मुहर :

ई-निविदा फा.सं. 3.12.(1)/2024-सा.-I

आयोग कार्यालय में मिश्रित रद्दी कागजों तथा रद्दी एयरमेल बैग (काला) /दोसूती बैग के निपटान हेतु
बोली प्रस्तुत करने का प्ररूप

(तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु)

1. फर्म का नाम एवं पता :
2. टेलीफोन नं. :
 1. कार्यालय :-
 2. आवास :-
3. आवश्यकता होने पर संपर्क किए जाने वाले कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, पते एवं टेलीफोन नं. :
4. जमा की गई धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का विवरण :
 - (क) धन राशि: -----
रु.
 - (ख) डी डी / पे आर्डर सं.-----
--
 - (ग) -----बैंक
सेआहरित
5. फर्म के प्रोपराइटर का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर :

हस्ताक्षर :

नाम :

मुहर :

घोषणा

मैं, -----, यह प्रमाणित करता हूं कि निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने यह निरीक्षण कर लिया है कि मिश्रित रद्दी कागज किस प्रकार के हैं।

(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

ई-निविदा फा.सं. 3.12.(1)/2022-सा.-I

प्रमाण-पत्र

हम (फर्म का नाम) _____,

पता _____

एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमें देश में कहीं भी किसी भी सरकारी संगठन/उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर _____

नाम _____

तारीख _____

ई-निविदा फा.सं. 3.12.(1)/2024-सा.-I

मिश्रित रद्दी कागज हेतु वित्तीय बोली
(केवल ऑनलाइन रूप से भरे जाने हेतु)

क्रम सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा (अनुमानित)	इकाई	इकाई दर (प्रति किलोग्राम)	कुल राशि	कुल राशि (शब्दों में)
क	ख	ग	घ	ड.	च=(गxड.)	छ
	मिक्स रद्दी कागज, जिसमें मुख्यतः अखबार, मैगजीन, पुराने फटे रिकार्ड, पुराने कार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड के बक्से, कार्बन पेपर और इस्तेमाल किए गए पॉलीथीन बैग तथा एनआईटी में यथाउल्लिखित रोजमर्रा की साफ-सफाई की अन्य रद्दी शामिल है।	90,000	किलोग्राम			
कुल राशि (अं कों में)						
कुल राशि (श ब्दों में)						

कृपया नोट करें :

- कागज का अनुमानित वजन क्रमशः 90,000 किलोग्राम है, जो बढ़/घट सकता है।
- रद्दी कागज अनुमोदित वेंडर को अनुमोदित दर (प्रति किलो) तथा वास्तविक आधार पर मुहैया कराए जाएंगे।
- इकाई प्रति किलो की दर जीएसटी को शामिल करते हुए उद्धृत की जानी चाहिए।

हस्ताक्षर :

नाम :

मुहर :